प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा आर्थिक/सामान्य एवं समाज सेवाओं के अंतर्गत उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भारतीय खाद्य निगम जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में है, से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वह हैं जोकि 2016-17 की अवधि हेतु जाँच लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए थे, तथा वह है जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके थे। 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को जहाँ कहीं आवश्यक था, भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की गई है।